न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

.सं. 8/2021
सीएमएस : 2021/216

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री सरजीतसिंह जाति जटसिख साकिन 31 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—: प्रार्थी

बनाम

1. सरजीतसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 31 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. रामकुमार पुत्र श्री चन्दुराम
4. इन्द्राज पुत्र श्री रामकुमार
5. दिनेशकुमार पुत्र श्री रामकुमार

जाति स्वामी साकिन वार्ड नं. 3 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 27.01.2021

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री परमजीत सिंह महेरा अधि. प्रार्थीगण।
2. श्री दिनेशकुमार जोशी अधि. अप्रार्थीगण।

—: निर्णय :—

दिनांक :—07.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 31 पीएस तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075—2078 खतौनी संख्या 151/142 मुरब्बा नं. 17 पं.नं. 252/292 में 3.100 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रार्थी के दादा श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री सुहावासिंह की मृत्यु के बाद बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता है जो वर्तमान में 85 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जिनका प्रार्थी एक मात्र जायज व कानूनी वारिस है जिनके द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि तादादी 3.100 है. भूमि में 1/2 हिस्सा तादादी 1.150 है. नहरी भूमि अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी को बांट कर दे दी थी क्योकिं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त तमाम भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम नहीं करवाया गया है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा भूमि अपने आपकों खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। अब अप्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्व है तथा शराबी कबाबी व्यक्ति है जिन्होने अपनी नशा की लत की पूर्ति करने के लिए अपने नाम की तमाम भूमि को बिकवाली निकाल दी है। जो कभी भी किसी भी समय उक्त सम्पति का हस्तान्तरण कर सकते है प्रार्थी को इसके बारे में जानकी होने पर प्रार्थी द्वारा अपने साथ मौतबीर व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थी सं. 1 को बार—बार समझाया तथा हमारे रिश्तेदारों ने भी अप्रार्थी संख्या 1 को काफी समझाया कि उक्त भूमि जो रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है वह पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का आपके साथ बराबर का हक है तथा आप द्वारा उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी को बांट कर दिया है उस भूमि में से 1/2 हिस्सा को वे चलकर प्रार्थी के नाम करवा दे लेकिन अप्रार्थी ने दिनांक 24.01.2021 को प्रथमतया टालमटोल करके ... प्रार्थी व मौतबीरान व्यक्तियों को अप्रार्थी संख्या 1 ने ... धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि को वह अतिशीघ्र किसी अन्य को बेचान करवायेगा ताकि

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

कब्जा अन्यत्र हस्तान्तरण करवाएगा अगर इसमें प्रार्थी ने कोई आनाकानी की तो वह उसे जान से भी खत्म करवा देगें। यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद/प्रार्थना पत्र है तथा बिनाय प्रार्थना पत्र. प्रार्थी को उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रार्थी के दादा स्वर्गीय श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सुहावासिंह द्वारा आवंटन करवाने के कारण हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पित हाने के रोज से प्राप्त है अप्रार्थी सं. 1 रहन, बैय अथवा बेचान करने सफल हो जाता है तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगां। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वाहमी तौर पर बांट कर देने के कारण उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा का अपने आपकों खातेदार घोषित करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि जब तक उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा की घोषणा नहीं हो जाती है तथा उसके बाद उक्त वर्णित भूमि मे भूमि की किश्म के अनुसार विभाजन नहीं होता है तब तक प्रतिवादीगण इस भूमि के किसी भी भू भाग को रहन बैय अथवा हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रह तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससें प्रार्थी उक्त भूमि में अपने पैदायशी हक व कब्जा काश्त से वंचित होता हो। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का पूर्ण रूप से सिद्व है कि उक्त तमाम विवादित भूमि हिन्दू खानदान की कोपाषरी सम्पति है जिसके 1/2 हिस्सा पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के साथ काबिज तथा वर्तमान रबि फसल संयुक्त रूप से काश्त की हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर है जिनकों प्रार्थना पत्र.में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। अतः पार्थना पत्र. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पारित की जावे चक 31 पीएस तहसील रायसिंहनगर कि जमाबंदी संवत 2075–2078 खतौनी संख्या 151/142 मुरब्बा नं. 17 पं.नं. 252/292 में 3.100 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थी की 1/2 हिस्सा तादादी 1.550 है. नहरी भूमि में प्रार्थी के संयुक्त कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा उक्त रकबा में से किसी भू भाग को रहन बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससें प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की उक्त भूमि से बेदखल होता हो।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण रामकुमार पुत्र चन्दूराम व इन्द्राज–दिनेशकुमार पि. रामकुमार जरिये अधिवक्ता श्री दिनेशकुमार जोशी प्रार्थना पत्र आ. 1 नि. 10 व धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसे दिनांक 03.08.2021 को स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 3 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री सुखदेवसिंह बुट्टर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया हे कि वादग्रस्त समस्त रकबा अप्रार्थी को विरास्तन प्राप्त नहीं होने से पैतृक भूमि नहीं है क्योकि मुझ अप्रार्थी के पिता इन्द्रसिंह पुत्र सुहावासिंह के हम 4 भाई हाकमसिंह–जलावरसिंह–बख्तावरसिंह व मै प्रतिवादी सं. 1 विधिक वारिसान थे इसके देहान्त उपरान्त वर्णित रकबा बहिस्सा बराबर [illegible] पुत्रों में विरास्त आने पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को केवल 0.775 [illegible] हिस्सा यानि 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि विरास्त प्राप्त हुई हैं। शेष रकबा का 3/4 [illegible] उक्त तीन भाइयों को प्राप्त हुआ जिसके बाद उनके [illegible] हिस्सा भूमि को तीनों भाई हाकमसिंह बगैरा द्वारा मुझ अप्रार्थी को [illegible] दस्तबरदारी दिनांक 06.03.1997 से हक त्याग किया गया है जिस कारण उनका 3/4 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

का रकबा मुझ अप्रार्थी के पक्ष में विरासतन ना होकर स्व अर्जित भूमि की श्रेणी में आता है हक त्याग से लिया होने से स्वअर्जित भूमि है। पूर्व वर्णित भूमि मुझ अप्रार्थी को समस्त रकबा अपने पिता से विरासतन नहीं बल्कि भाईयों से हक त्याग प्राप्त होने से स्वअर्जित सम्पति है इन्कारी के तथ्य प्रार्थना पत्र की नोईयत का बल देने के आश्य से झूठे दर्ज किये है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी अपने पिता–माता की सेवा नहीं करता है बल्कि लडाई–सगडा करता है इसलिए किसी अनहोनी से बचने के लिए वाग्रस्त भूमि को बेचान कर दूसरी जगह भूमि खरीद करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को अपनी भूमि चक 31 पीएस के खाता संख्या 151 नया पुराना 142 के मु.नं. 17 पं. नं. 252/292 की 3.100 है. नहरी कृषि भूमि को विक्रय की जाकर बैयनामा दिनांक 14.01.2021 को उपपंजीयक महोदय रायसिंहनगर के समक्ष केतागण के नाम से तहरीर व तकमील करवाया जाकर कब्जा भूमि मय पानी की बारी केतागण को संभलवा दिया गया है जिस पर केतागण बैयनामा रोज से बैयनामा रोज से खरीददार मालिक काबिज चले आ रहे है। रकबा बेचान के तथ्यों से अवगत होते हुये प्रार्थी द्वारा जानबुझकर अप्रार्थी व सदभावी केतागण भूमि के मालिक काबिज को तंग परेशान की गर्ज से झूठा वाद दायर किया गया हैं। मुझ अप्रार्थी को समस्त विरासतन नहीं बल्कि स्वयं के 1/4 हिस्सा के अतिरिक्त 3/4 हिस्सा भूमि भाईयों से प्राप्त होने के कारण स्वअर्जित भूमि है इस वादग्रस्त रकबा का अप्रार्थीगण संख्या 1 मालिक काबिज होने से रकबा को इच्छा अनुसार उपयोग, उपभोग एवं विकय करने का पूर्ण अधिकारी था। चादग्रस्त रकबा के पंजीकृत बैयनामा के प्रभावशील होने कारण तथा रकबा के काबिज क्रेतागण मालिक भूमि होने प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण व सदभावी भूमि क्रेतागण के पक्ष में साबित है प्रार्थी द्वारा जानबुझकर भूमि केतागण बैयनामा को पक्षकार मुकदमा नही बनाये जाने से प्रार्थना पत्र विधिबाधित है होने से खारिज योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे खर्चा जवाब देही दिलवाया जावे। अप्राथीगण संख्या 3 ता 5 की तरफ से श्री दिनेशकुमार जोशी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 सरजीतसिंह को दूसरी जगह पर भूमि खरीद करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी सरजीतसिंह ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के समक्ष अपनी भूमि चक 31 पीएस के खाता संख्या 151 नया पुराना 142 के मुरब्बा नं. 17 पं.सं. 252/292 की 3.100 है. नहरी कृषि भूमि को विकय करने का प्रस्ताव रखा जिस पर विवादित भूमि के संदर्भ में सरजीतसिंह से बात करने पर अप्रार्थी सरजीतसिंह के द्वारा अपनी 31 पीएस की कुल 26 बीघा 6 बिस्वा भूमि के संदर्भ में बताया गया है कि समस्त भूमि में से आधी भूमि अपने पुत्र भूपेन्द्रसिंह को दे रखी है और मु. नं. 17 पं.सं. 252/292 की 3.100 है. भूमि विक्रय कर अन्यत्र भूमि खरीदना चाहता है। सरजीतसिंह ने इस परिणाम स्वरूप बैयनामा दिनांक 14.01.2021 को अप्रार्थीगण के नाम से तहरीर व तकमील करवाया एवं विक्रय की गई भूमि की प्रतिफल की एवज में अखरे ग्यारह लाख रूपये [illegible] संख्या 483104 भारतीय स्टैट बैंक शाखा श्रीगंगानगर व चैक संख्या [illegible] 290 [illegible] भारतीय स्टेट बैंक शाखा रायसिंहनगर से वसूल पाये एवं भूमि का मौके [illegible] कब्जा दिनांक 14.01.2021 से निरन्तर निर्बाध एवं शांतिपूर्वक [illegible] है बाद में दिनांक 27.01.2021 को श्रीमान् न्यायालय में [illegible] के [illegible] सिंह ने जानबूझकर मात्र अपने पिता सरजीतसिंह को अप्रार्थी बनाकर विवादित भूमि पर स्थगन प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

किया व मात्र दो–तीन दिन बाद दिनांक 01.02.2021 को सिविल न्यायालय रायसिंहनगर में 1 दावा व प्रार्थना पत्र क्रम 15/21 व 12/21 रजिस्टरी दिनांक 14.01.2021 के कैंसलेशन का अप्रार्थी सरजीतसिंह व प्रार्थीगण रामकुमार, इन्द्राज व दिनेशकुमार के विरूद्व प्रस्तुत किया जो कि पूरी तरह से भूपेन्द्रसिंह व सरजीतसिंह की मिलिभगत को साबित करता है जहां एक और दिनाक 27.01.2021 मामले के प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह को प्रार्थीगण के बारे में पता भी नहीं है और वह प्रार्थीगण को पक्षकार भी बनाता है वहीं दूसरी तरफ रजिस्टरी केंसलेशन के सिविल दावे में समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 01.02.2021 को उपस्थित होकर प्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित कर साबित करता है विवादित भूमि के अपने पिता सरजीतसिंह द्वारा क्रय करने की बात मामले का प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह भलीभांति जानता था इस प्रकार मामले का प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है बिनाये मुखारमत में अंकित दिनांक मात्र प्रार्थना पत्र को न्यायिक बल देने के लिए गलत रूप से अंकित की गई है इस कारण स्थगत निरस्ती के लायक है। शेष बातें अप्रार्थी ने अतार्कीक रूप से वर्णित की है जो ना तो तथ्य संगत एव ना ही विधि संगत है। श्रीमान् न्यायालय के वर्तमान स्थगन के प्ररिपेक्ष्य में प्रार्थीगण को आनवश्यक आर्थिक एवं मानसिक हानि का सामना करान पड़ रहा है प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है स्थगन के कारण भूमि राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली तमाम योजनाओं जैसें की ऋण इत्यादि का लाभ उठाने से प्रार्थीगण वंचित हो रहे है जरिये बैयनामा दिनांक 14.01.2021 भूमि का निर्धारित मूल्य को भुगतान करने के पश्चात क्रय की है जिस पर अप्राथीगण का कब्जा काश्त बरोज बैयनामा निरन्तर चला आ रहा है उक्त भूमि के संदर्भ में श्रीमान् न्यायालय के द्वारा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को निरन्तर रखा जाता है तो सदभाविक क्रेता होने के कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसका मुल्यांकन मुद्राओं में संभव नहीं हैं। वर्तमान में विवादित भूमि पर प्रार्थीगण की फसल की हुई है विवादित भूमि के विरास्तन होने के संदर्भ में गलत तथ्य मामले के प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह द्वारा गलत दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किये है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्ती के लायक है इस प्रकार प्रथ्यदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है जिस कारण उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे जो कि न्यायोचित होगा।

3. प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188,53,92ए, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत् पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपेक्षित आदेश दिनांक 03.08.2021 एवं 31.05.2022 के मध्यम से स्वीक[illegible] व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिकाए राजस्व म[illegible] अ[illegible] के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल अजमेर ने [illegible] होने से खारिज की है सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राज[illegible] रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 03.08.2021 एवं 31.05.2022 यथावत बहाल रखे। इस न्यायलय को मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर पुनः प्रकरण सुनवाई में लिया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

इस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि पैतृक इस कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है इसलिए मूल वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा स्थाई की जावे। अप्रार्थी सरजीतसिंह से प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 ने जरिये बैयनामा दिनांक 14.01.2021 भूमि का निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के पश्चात क्रय की है विवादित भूमि पर इस न्यायालय द्वारा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को निरन्तर रखा जाता है तो सदभाविक क्रेता होने के कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा जिसका मुल्याकन मुद्राओं में संभव नहीं है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है जिस कारण उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को उक्त विवादित भूमि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार हाकमसिंह–जलावरसिंह–बख्तावरसिंह पि. इन्दरसिंह से जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.03.1997 से 3/4 हिस्सा अपने हकीकी भाईयों से हक त्याग से प्राप्त है अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा भी विवादित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.01.2021 भूमि का निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के पश्चात क्रय की है। प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह द्वारा सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर श्रीगंगानगर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत अप्रार्थी सरजीतसिंह के खिलाफ ताफैसला मूल वाद हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अंतरित नहीं करे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दिनांक 24.03.2021 को आदेश प्राप्त है पुनः मूल वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने आदेश दिया जाना तर्क संगत नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष मे नहीं पाया जाता है जिस कारण उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रार्थी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र में उपलब्ध दस्तावेज व तथ्यों के अनुसार प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता हैं। तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2021 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

आर.ए.एस.